



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹20,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु०अ०सं०-223/2020 धारा-302,201,34,120बी भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मनोज कुमार कुशवाहा पुत्र मंगल सिंह नि० रीवन थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को आजीवन कारावास व ₹20,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक
एडि. डीजीसी श्री
मणिकर्ण शुक्ला



विवेचक-
निरी० मनोज कुमार
शुक्ला



पैरोकार- थाना मौदहा
का० शुभम यादव